



173

समक्षः माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० खालियर

प्रकरण क्रमांक

/2011 निगरानी R-1754-II/2011

1. शंभूदयाल पुत्र श्री दल्लाराम
 2. कैलाश पुत्र श्री दल्लाराम
 3. रामप्रसाद पुत्र श्री दल्लाराम
- समस्त निवासीगण फिलोजपुर
तहसील एवं जिला श्योपुर (म०प्र०)
.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

पटवारी मौजा ग्राम हलगांवड़ा
बुजुर्ग तहसील व जिला श्योपुर.....
प्रतिप्रार्थी

निगरानी अतंगत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश
दिनांक 25/08/2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय चम्बल
संभाग, मुरेना प्रकरण क्र० 80/10-11/अपील जिसके द्वारा योग्य
अधीनस्त न्यायालय प्रार्थी की अपील क्रमाक 80/07-08/अपील माल
अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक
18/11/10 के विरुद्ध अपील निरस्त की गई।

प्रार्थी की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- (1) यहकि, मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हलगांवड़ा बुजुर्ग की भूमि
सर्वे क्र० 380 रकबा 18 बीघा 17 बिसवा मंदिर श्री सांवला जी के
नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर पटवारी कागजाद मे दर्ज है। उक्त भूमि
पर प्रार्थी अपने बुजुर्ग के समय से यानि 50 वर्ष के अधिक समय
से उपकृष्टक की हैसियत से काबिज होकर कार्य कर रहा है।
प्रार्थीगण के पिता दल्लाराम के नाम का इन्द्राज उपकृष्टक के रूप
मे खसरे मे खाता नं. 4 मे पूर्व के खसरो मे अंकित चला आ रहा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1754—दो/11

जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-11-2016	<p>आवेदकगण को प्रकरण में कई बार सूचना देने के बाद आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में आवेदकगण अथवा उसके अभिभाषक द्वारा कोई रुचि नहीं लेने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>P.M.</i></p>	